

29/11/2024

पत्रावली नैशा दुई वकील पत्रिका
 की प्रेषण अहमदाबाद कायदा है प्रस्ताव
 में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है
 पत्रावली में प्रस्तुत ए. ए. अण्णा
 पुरोकार अफसर, संलग्न जमावत व
 वसालपत्र शरणाग्रस्त नजरी नमूने को
 आवलोकन किया गया। पत्रिका वकील
 की बहस इस नये शस्त्रे की
 आवश्यकता सिद्ध नहीं हो सकी है।
 पुरोकार अफसर के अण्णा अहमदाबाद
 व नजरी नमूना अहमदाबाद 857/565
 रकबा 0.0830 हे० समर्पण होकर
 वंशु शास्ता को ही हुआ है, जो
 पत्रिका की शरणाग्रस्ते के ख. नं. 411/1
 के तहत में रोड से लवाण हुआ है
 जिससे आवलोकन संभव हो अतः
 यह सिद्ध है कि नये शस्त्रे की
 आवश्यकता नहीं है अतः प्रस्तुत
 बहस व अण्णा पुरोकार के आधार
 पर धारणा-पत्र पत्रिका को अं. धा.
 251(A) राजस्थान कायदाकारी अधि.
 1955 अंतर्गत अंतर्देशीय सिद्ध
 होने के कारण खारिज किया जाता
 है। पत्रावली केवल अण्णा अहमदाबाद
 काद वकील दायता हस्तांतर
 है। निम्न खुले न्यायालय में
 सुनाना आदेश में अहमदाबाद व
 न्यायालय सुनाने के आदेश दिया
 गया।

अहमदाबाद
 न्यायालय अधिकारी
 सौम्य बंकर

